



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 23 मार्च, 2026

चैत्र 2, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4

संख्या 516/81-4-2026

लखनऊ, 23 मार्च, 2026

अधिसूचना

प0आ10-106

आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबन्धन) नियम, 2017 के नियम 7 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, जिस अधिसूचना को जारी करने का प्रस्ताव करते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप जनसामान्य की सूचना के लिए तथा उक्त नियम के नियम 7 के उपनियम (3) के अधीन यथाअपेक्षित उसके संबंध में आपत्तियां आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्वारा प्रकाशित की जाती हैं;

प्रस्तावित अधिसूचना के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति हो उसे प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित कर लिखित रूप में प्रेषित किया जाएगा;

केवल उन्हीं आपत्तियों पर ही विचार किया जाएगा जो इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से 60 दिन के भीतर प्राप्त हों ।

प्रारूप अधिसूचना

चूंकि, तहसील नौगावां सादात, जिला अमरोहा स्थित 5.3150 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले अपरौला मय बाग के नाम से एक जल निकाय विद्यमान है, जिसका विस्तृत विवरण नीचे अनुसूचियों में दिया गया है, जिसे स्थानीय समुदायों और समग्र समाज के लिए अपनी पारिस्थितिकी सेवाओं और जैव विविधता मूल्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है;

और, चूंकि, पूर्वोक्त जल निकाय हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा है, यह जल भंडारण, जल शोधन, बाढ़ शमन, कटाव नियंत्रण, जलभृत पुनर्भरण, सूक्ष्म जलवायु विनियमन, परिदृश्यों के सौंदर्य संवर्धन जैसी पारिस्थितिकी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, और पर्यावरण संरक्षण, पर्याप्त वनस्पतियों और जीवों, पारिस्थितिकी, परिदृश्य और मानवीय मूल्यों के संवर्धन और विकास के लिए महत्वपूर्ण है;

अतएव, अब आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबन्धन) नियम 2017 के नियम 7 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उपर्युक्त क्षेत्र "अपरौला मय बाग" को आर्द्रभूमि घोषित करते हैं, जिसे अपरौला मय बाग आर्द्रभूमि जिला अमरोहा के नाम से जाना जायेगा।

अपरौला मय बाग आर्द्रभूमि के अधीन सम्मिलित क्षेत्र की सीमा एवं विवरण इस अधिसूचना की अनुसूची-एक में उल्लिखित है।

अपरौला मय बाग आर्द्रभूमि के प्रभाव क्षेत्र का विस्तृत विवरण इस अधिसूचना की अनुसूची-दो में उल्लिखित है।

अपरौला मय बाग आर्द्रभूमि एवं इसके प्रभाव क्षेत्र में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का विवरण इस अधिसूचना की अनुसूची-तीन में उल्लिखित है।

अपरौला मय बाग आर्द्रभूमि और इसके प्रभाव क्षेत्र में अनुज्ञात क्रियाकलापों का विवरण इस अधिसूचना की अनुसूची-चार में उल्लिखित है।

अनुसूची-एक

अपरौला मय बाग आर्द्रभूमि की सीमा

उत्तर— ग्राम अपरौला मय बाग से ग्राम कासमपुर मेव का रास्ता

पूरब— कब्रिस्तान

दक्षिण— ग्राम अपरौला मय बाग से ग्राम तखतपुर का रास्ता

पश्चिम— ग्रामीण आबादी

अपरौला मय बाग आर्द्रभूमि जिला अमरोहा का क्षेत्रफल 5.3150 हेक्टेयर है और इसके स्वामित्व का विस्तृत विवरण निम्नवत है:-

खतौनी मौजा— अपरौला मय बाग परगना—नौगावां सादात जिला—अमरोहा

वर्ष—1426—1431 फसली

खातेदार का नाम	खाता संख्या	नाम कास्तकार बकैद वल्लियत व कौमियत व सकूमत	मुद्दत काश्त	संख्या खेत मुताबिक खसरा	रकबा बाहिसाब बंदोबस्त हेक्टेयर में		लगान	कैफियत
					मजरुआ	गैर मजरुआ		
आर्द्रभूमि	00332	तालाब		184		0.0690		
				283		0.4940		
				331/6		0.2020		
				332		0.1700		
				450		0.4740		
				171		0.5550		
				353		3.3510		
योग				7	5.3150			

अनुसूची-दो

अपरौला मय बाग आर्द्रभूमि के प्रभाव क्षेत्र (जोन आफ इन्फ्लूएंस) का विवरण

क्रम संख्या	अपरौला मय बाग आर्द्रभूमि की सीमा के निर्देशांक		अपरौला मय बाग आर्द्रभूमि के प्रभाव क्षेत्र (जोन आफ इन्फ्लूएंस) के निर्देशांक		अपरौला मय बाग आर्द्रभूमि एवं प्रभाव क्षेत्र (जोन आफ इन्फ्लूएंस) के मध्य की दूरी (मीटर में)
	अक्षांश	देशान्तर	अक्षांश	देशान्तर	
1	28° 58' 28.91" N	78° 27' 28.36" E	28° 58' 29.37" N	78° 27' 30.91" E	100
2	28° 58' 29.13" N	78° 27' 28.12" E	28° 58' 25.24" N	78° 27' 29.84" E	100

क्रम संख्या	अपरौला मय बाग आर्द्रभूमि की सीमा के निर्देशांक		अपरौला मय बाग आर्द्रभूमि के प्रभाव क्षेत्र (जोन आफ इम्प्लूएण्ड) के निर्देशांक		अपरौला मय बाग आर्द्रभूमि एवं प्रभाव क्षेत्र (जोन आफ इम्प्लूएण्ड) के मध्य की दूरी (मीटर में)
	अक्षांश	देशान्तर	अक्षांश	देशान्तर	
3	28° 58' 29.80" N	78° 27' 27.97" E	28° 58' 24.83" N	78° 27' 25.36" E	100
4	28° 58' 29.78" N	78° 27' 26.98" E	28° 58' 26.35" N	78° 27' 23.54" E	100
5	28° 58' 29.70" N	78° 27' 26.20" E	28° 58' 27.51" N	78° 27' 22.66" E	100
6	28° 58' 29.33" N	78° 27' 25.80" E	28° 58' 30.40" N	78° 27' 23.42" E	100
7	28° 58' 28.51" N	78° 27' 25.36" E	28° 58' 31.96" N	78° 27' 25.44" E	100
8	28° 58' 28.20" N	78° 27' 25.64" E	28° 58' 32.95" N	78° 27' 26.56" E	100
9	28° 58' 27.84" N	78° 27' 26.74" E	28° 58' 31.26" N	78° 27' 29.04" E	100
10	28° 58' 27.66" N	78° 27' 28.04" E	28° 58' 30.19" N	78° 27' 30.25" E	100
11	28° 58' 28.60" N	78° 27' 58.45" E	28° 58' 29.37" N	78° 27' 30.91" E	100

अपरौला मय बाग आर्द्रभूमि में जल का स्रोत, वर्षा जल व ग्राम अपरौला मय बाग का अपशिष्ट जल प्रवाह है।

अनुसूची-तीन

अपरौला मय बाग आर्द्रभूमि जिला अमरोहा और इसके प्रभाव क्षेत्र में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का विवरण

प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप:-

- 1- किसी भी प्रकार के अतिक्रमण सहित गैर- आर्द्रभूमि उपयोगों के लिए संपरिवर्तन ।
- 2- नए उद्योगों की स्थापना/विद्यमान उद्योगों का विस्तार ।
- 3- परिसंकटमय पदार्थों/निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का निर्माण, प्रबंधन, भंडारण एवं निपटान ।
- 4- ठोस अपशिष्ट पाटन ।
- 5- अशोधित मलजल/औद्योगिक बहिःस्राव/अपशिष्ट जल के लिए निमग्न ।
- 6- निर्माण गतिविधियों (नाव घाटों को छोड़कर) ।
- 7- प्लास्टिक, पॉलीथीन एवं अन्य गैर-जैव-अपघटनीय अपशिष्ट प्रदूषण ।

विनियमित क्रियाकलाप:-

- 1- जल निष्कासन/अवरोध/मोड़ या कोई अन्य जल विज्ञान हस्तक्षेप ।
- 2- संसाधनों (जीवित/अजीवित) की कटाई ।
- 3- चराई ।
- 4- नाव घाटों का निर्माण और अस्थायी उपयोग के लिए सुविधाओं, जैसे कि पीपापुल ।
- 5- आर्द्रभूमि सीमाओं के भीतर जलीय कृषि क्रियाकलाप ।
- 6- उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन तैयार प्रचलित महायोजना के अधीन प्रस्तावित सड़क तथा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं उनके द्वारा गठित प्राधिकरणों/स्थानीय निकायों के अधीन निर्माण क्रियाकलापों सहित परियोजना ।
- 7- आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले समस्त क्रियाकलाप ।

नोट: इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन से पूर्व किये गये निर्माण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आर्द्रभूमि के भीतर तथा इसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर विनियमित क्रियाकलापों की अनुज्ञा जब कभी अपेक्षित हो उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा जिला आर्द्रभूमि समिति की संस्तुति पर दी जा सकेगी।

अनुसूची-चार

अपरौला मय बाग आर्द्रभूमि, जिला अमरोहा और इसके प्रभाव क्षेत्र में अनुज्ञात क्रियाकलापों का विवरण

अनुसूची-तीन में वर्णित क्रियाकलापों के सिवाय समस्त क्रियाकलाप जो आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 का उल्लंघन नहीं करते हैं।

आज्ञा से,
वी0 हेकाली झिमोमी,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 516/LXXXI-4-2026 dated March 23, 2026 :

No. 516/LXXXI-4-2026

Dated Lucknow, March 23, 2026

The following draft notification which the Governor proposes to issue in exercise of the powers under rule 7 of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017, is hereby published for the information of the general public and with a view of inviting objections in respect thereof as required under sub-rule (3) of Rule 7 of the said rules;

Objections, if any, with respect to the proposed notification shall be sent in writing addressed to the Pramukh Sachiv, Environment, Forest and Climate Change Section 4, Uttar Pradesh Shasan, Bapu Bhawan, Lucknow. Only such objections shall be taken into consideration as received within 60 days from the date of publication of this notification in the Official *Gazette*.

DRAFT NOTIFICATION

WHEREAS, there exists a water body known as Aprola May Bagh measuring an area of 5.3150 hectares situated in Tehsil Naugawan Sadat, District Amroha detailed description whereof is given in the Schedules below, which is considered to be critically significant for its ecosystem service and biodiversity values for the local communities and society at large;

AND, WHEREAS, the aforesaid water body is a part of our cultural heritage; provides a wide range of ecosystem services such as water storage water purification, flood mitigation, erosion control, aquifer recharge, micro climate regulation, aesthetic enhancement of landscapes; and is important for environmental conservation, enrichment and development of adequate flora and fauna, ecology, landscape and humanitarian values;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by sub-rule (3) of Rule 7 of the Wetlands (Conservation and Management) Rules 2017, the Governor is pleased to declare the area of "Aprola May Bagh " as wetland which will be known as Aprola May Bagh Wetland District Amroha.

The boundary and description of the area included under Aprola May Bagh Wetland is mentioned in Schedule-I of this notification.

Details of the zone of influence of the Aprola May Bagh Wetland are mentioned in Schedule-II of this notification.

Description of prohibited and regulated activities in Aprola May Bagh Wetland and its zone of influence are mentioned in Schedule-III of this notification.

Description of permitted activities in Aprola May Bagh Wetland and its zone of influence are mentioned in Schedule-IV of this notification.

SCHEDULE-I

Boundary of Aprola May Bagh Wetland

North - Road of Village Kasampur Mev from Village Aprola May Bagh

East - Cemetery

South - Road from Village Aprola May Bagh to Village Takhatpur

West - Rural Inhabitation

The area of Aprola May Bagh Wetland, District Amroha is 5.3150 Hectare, the details of its ownership is as under:-

**Khatauni Mauza-Aprola May Bagh Pargana-Naugawan Sadat District-Amroha
Year -1426-1431 Fasli**

Name of Khatedar	Khata No.	Name Kashtkar Bakad Waldiat & Kaumiyat and Sakumat	Muddat Kasht	Number Khet Mutabik khasra	Rakba bahisab bandobast in hectare		Lagan	Kaifiyat
					Majarua	Gair Majarua		
Wetland	00332	Talab		184		0.0690		
				283		0.4940		
				331/6		0.2020		
				332		0.1700		
				450		0.4740		
				171		0.5550		
				353		3.3510		
Total				7	5.3150			

SCHEDULE-II

Detail of Zone of Influence (ZOI) of Aprola May Bagh Wetland

Sl.no.	Co-ordinates of boundary of Aprola May Bagh Wetland		Co-ordinates of ZOI of Aprola May Bagh Wetland		Distance of between Aprola May Bagh Wetland and ZOI (in mtr.)
	Latitude	Longitude	Latitude	Longitude	
1	28° 58' 28.91" N	78° 27' 28.36" E	28° 58' 29.37" N	78° 27' 30.91" E	100
2	28° 58' 29.13" N	78° 27' 28.12" E	28° 58' 25.24" N	78° 27' 29.84" E	100
3	28° 58' 29.80" N	78° 27' 27.97" E	28° 58' 24.83" N	78° 27' 25.36" E	100
4	28° 58' 29.78" N	78° 27' 26.98" E	28° 58' 26.35" N	78° 27' 23.54" E	100
5	28° 58' 29.70" N	78° 27' 26.20" E	28° 58' 27.51" N	78° 27' 22.66" E	100
6	28° 58' 29.33" N	78° 27' 25.80" E	28° 58' 30.40" N	78° 27' 23.42" E	100
7	28° 58' 28.51" N	78° 27' 25.36" E	28° 58' 31.96" N	78° 27' 25.44" E	100
8	28° 58' 28.20" N	78° 27' 25.64" E	28° 58' 32.95" N	78° 27' 26.56" E	100
9	28° 58' 27.84" N	78° 27' 26.74" E	28° 58' 31.26" N	78° 27' 29.04" E	100
10	28° 58' 27.66" N	78° 27' 28.04" E	28° 58' 30.19" N	78° 27' 30.25" E	100
11	28° 58' 28.60" N	78° 27' 58.45" E	28° 58' 29.37" N	78° 27' 30.91" E	100

The sources of water in Wetland are rainwater and the waste water drainage of Aprola May Bagh Village.

SCHEDULE-III

Description of permitted activities in Aprola May Bagh Wetland District Amroha and its zone of influence

Prohibited activities—

1. Conversion for non-wetland uses including encroachment of any kind.
2. Setting up new industries/expansion of existing industries.
3. Manufacturing, handling, storage and disposal of hazardous substance/construction and demolition waste.
4. Solid waste dumping.
5. Sink for untreated sewage/industrial effluent/waste water.
6. Construction activities (except boat jetties).
7. Plastic, polythene and other non bio-degradable waste pollution.

Regulated activities—

1. Withdrawal of water/impoundment/diversion or any other hydrological intervention.

2. Harvesting of resources (living/non-living).
3. Grazing.
4. Construction of boat jetties and facilities for temporary use, such as pontoon bridges.
5. Aquaculture activities within the Wetland boundaries.
6. Road proposed under prevalent master plan prepared under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 and project including construction activities under Central Government, State Government and Authorities/ Local bodies constituted by them.
7. All activities having adverse effect on the wetland ecosystem.

Note: There will be no adverse effect on construction done before final publication of this notification.

Permission for regulated activities within the wetland and within its Zone of Influence may be granted by the Uttar Pradesh State Wetland Authority on the recommendation of District Wetland Committee as and when required.

SCHEDULE-IV

Description of permitted activities in Aprola May Bagh Wetland, District Amroha and its zone of influence is as under

All activities, except those described in Schedule-III, which are not in contravention of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017.

By order,
V. HEKALI ZHIMOMI,
Pramukh Sachiv.